अध्याय - 5

निष्कर्ष और अनुशंसायें

अध्याय-5: निष्कर्ष और अनुशंसायें

5.1 निष्कर्ष

राज्य के अधिकाँश भाग की भौगोलिक स्थिति पहाड़ी है और राज्य के ऊपरी हिस्सों में भारी नुकसान हुआ था जहाँ बरसात के मौसम, जो अक्सर होती है, में पहुँच कठिन होती है। परिणामस्वरूप, राज्य में कार्य निष्पादन हेतु मौसम किसी हद तक सीमित है।

राज्य सरकार द्वारा म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत नौं क्षेत्रों के 2,359 निर्माण कार्यों को स्वीकृत किया गया था जिसमें से 1,767 कार्य (75 *प्रतिशत*), कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि (वि आ स -पु / के पो यो-पु / ए वि बैं वित्तपोषित कार्यों हेतु 31-03-2017 और विश्व बैंक वित्तपोषित कार्यों हेतु 31-12-2017) तक पूर्ण किए गए थे, पूर्ण कार्यों की संख्या 31 मार्च 2018 तक 2,066 हो गयी थी, जोकि म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत कुल कार्यों का 87 *प्रतिशत* था।

भारत सरकार (भा स) द्वारा प्रदत्त 'मध्य और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण' (म और दी पु) पैकेज क्षतिग्रस्त अवस्थापना के पुनर्निर्माण और आपदा (जून 2013) से प्रभावित जनसंख्या / क्षेत्रों की आजीविका की पुनर्स्थापना के लिये था जिसमें राज्य के आपदा की तैयारियों में एक समयबद्ध तरीके से सुधार भी सम्मिलित था। तथापि, कई विभाग जैसे- सिंचाई, वन और लोक निर्माण विभाग (लो नि वि) अपनी क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का सही आंकलन करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप म और दी पु पैकेज में वित्तपोषित किए जाने वाले कार्यों की सूची में कई कार्यों को शामिल नहीं किया गया था। इसके विपरीत कई अन्य कार्य जो उक्त आपदा से क्षतिग्रस्त नहीं थे, को भी पैकेज में सम्मिलित किया गया था। राज्य मशीनरी के नियोजन और निधि प्रबंधन में कमी के कारण म और दी पु कोष के खपत के कारण योजनाबद्ध / स्वीकृत कार्यों के निष्पादन में भारी कमी रही। यहाँ सड़क के एक भाग की मरम्मत हेतु एक से अधिक बार विभिन्न वित्तपोषण क्षेत्रों के आच्छादन, चिन्हित कोष का अनियोजित कार्यों पर व्ययावर्तन, परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों (प क्रि इ) में धन की निष्क्रियता, निर्धारित मापदण्डों / विनिर्देशों के विपरीत किये गये व्यय और कई निर्माण कार्यों मे अत्यधिक विचलन के प्रकरण द्रष्टांत थे।

भारत सरकार द्वारा धनराशियाँ जारी किये जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति न दिये जाने के कारण कई परियोजनाओं को निष्पादित नहीं किया जा सका। भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि ₹ 319.75 करोड़ (वि आ स - पु) की प्राप्ति के बावजूद राज्य सरकार ने गौरीकुंड व केदारनाथ के बीच रोपवे का निर्माण, आश्रय सह गोदामों, श्री केदारनाथ टाउनशिप के दूसरे चरण के कार्य, अन्य धामों के विकास, उत्तराखण्ड के युवाओं को वैकल्पिक माध्यमों से जीविकोपार्जन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के निर्माण के लिए निधि स्वीकृत नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की कोई भी परियोजना क्रियान्वयन अभिकरण निर्धारित अवधि के भीतर अपने सौपें गये कार्यों को पूरा नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त, मार्ग / सेतु के 10 निर्माण कार्य, पर्यटन अवस्थापना ढाँचे की 02 परियोजनाएं, 03 लघु जल विद्युत परियोजनाएं, सार्वजनिक भवनों के 17 निर्माण कार्य, वन क्षेत्र के 05 निर्माण कार्य आपदा की तिथि से पाँच वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अनारम्भ (मार्च 2018) थे।

राज्य सार्थक परियोजनाओं (₹ 246 करोड़) को प्रस्तुत न कर पाने के कारण म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत अनुमोदित सम्पूर्ण परिव्यय का उपयोग करने में असफल रहा। वि आ स - पु और वाह्य सहायतित वित्तपोषित कार्यों के सम्बन्ध में निष्पादन में धीमी प्रगति का कारण क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा निधि का कम उपयोग एवं राज्य सरकार द्वारा निधि स्वीकृत करने में विलम्ब / धन निर्गत न करना था। म और दी पु के तहत कुल अनुमोदित परिव्यय ₹ 6,259.84 करोड़ के सापेक्ष परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केवल ₹ 4,617.27 करोड़ (74 *प्रतिशत*) उपलब्ध कराया गया था, जिसके सापेक्ष क्रियान्वयन इकाईयां केवल ₹ 3,708.27 करोड़ (अनुमोदित परिव्यय का 59 *प्रतिशत*) का ही उपयोग कर सकीं।

आपदा से संबन्धित तैयारियों के मामले में भी राज्य की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा अति प्रभावित जनपदों में 5 हेलीड्रोमस, 19 हेलीपोर्ट्स, 34 हैलीपैड्स और 37 बहुउद्देशीय हॉल की लक्षित संख्या के सापेक्ष केवल 27 हैलीपैड्स का निर्माण किया गया एवं किसी भी बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण नहीं किया गया। विश्व बैंक सहायतित परियोजना (आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता विकास) के अन्तर्गत अधिकाँश गतिविधियाँ जो आपदाओं में जोखिम में कमी और उत्तराखण्ड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य सरकारी संस्थाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिये थीं, को आरम्भ किया जाना शेष था।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पुनर्निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कोई पृथक और केंद्रीकृत तंत्र स्थापित नहीं किया गया था। प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान जारी निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों / नोडल संस्थाओं की वर्तमान पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियन्त्रण प्रणाली कमजोर पायी गयी और म और दी पु के अन्तर्गत निर्मित 61 *प्रतिशत* सड़क कार्यों को गुणवत्ता नियंत्रण इकाई-लो नि वि द्वारा कमजोर श्रेणी प्रदान की गयी थी।

5.2 अनुशंसायें

उत्तराखण्ड एक आपदा प्रवृत्त राज्य है, यहाँ भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, अचानक आने वाली बाढ़ और जंगल की आग के रूप में प्राकृतिक आपदाओं की पुनरावृत्ति की प्रबल संभावना है। इसलिए, राज्य मशीनरी को आपदा की तैयारियों और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक अच्छे सामंजस्य तंत्र स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। पुनर्निर्माण कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबन्धित उन्नत नीतियों, संस्थानों और प्रथाओं के लिए प्रभावी सबक सीखने और अच्छे तरीके खोजने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा द्वारा उजागर कमियों और खामियों के आलोक में, राज्य सरकार विचार करे:

- ***राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (राज्य आ प्र प्रा) को सुदृढ़ करे ताकि यह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और राज्य आपदा प्रबंधन योजना में प्रावधानित जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सुसज्जित हो। राज्य आ प्र प्रा को आपदाओं से बचाव व रोकथाम के उपायों के लिए कार्यकारी विभागों द्वारा अपनाये जाने एवं आरम्भ किये जाने हेतु मजबूत समय सारिणी बनानी चाहिये। राज्य आ प्र प्रा को राज्य कार्यकारी समिति से इन समय सारणियों का अनुश्रवण अनुपालन सुनिश्चित करने पर विचार करे अथवा इस प्रयोजन हेतु एक पृथक प्राधिकार समिति के सृजन पर विचार करे।***

- *जोखिम मूल्यांकन के कार्यान्वयन व मुख्यधारा जोखिम में कमी के दृष्टिकोण से डिजाईन और पुनर्निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य आ प्र प्रा, आ न्यू एवं प्र के और अन्य सरकारी संस्थाओं की क्षमताओं में वृद्धि करना;*
- *किसी भी आपदा के कारण हुई क्षतियों की पहचान के उचित आंकलन एवं समय से व्यावहारिक प्रस्ताव प्रस्तुत कर राज्य को अनुमोदित परिव्यय के अनुसार निधियों के उपयोग व लाभ उठाने हेतु तंत्र को सुदृढ़ करना;*
- *परियोजना अनुमोदन व वित्तपोषण तंत्र को सुप्रवाही बनाना। उ स सभी परियोजना प्रस्तावों और अनुमोदनों के एक कम्प्यूटर एप्लीकेशन के माध्यम से निर्गत करने की सम्भावनाओं पर विचार करे ताकि एक ही कार्य हेतु कई स्रोतो से वित्तपोषण व एक ही कार्य को विभिन्न अभिकरणों एवं ठेकेदारों द्वारा निष्पादित करने से बचा जा सके जो कि निधि के दुरुपयोग और व्ययावर्तन के लिए गुंजाइश छोड़ते हैं;*
- *निधि के व्ययावर्तन और अवरोधन से बचने के लिये वित्तीय प्रबन्धन को सुदृढ़ करना एवं विभिन्न परियोजनाओं / कार्यों के लिए समय पर धनराशि को अवमुक्त करना सुनिश्चित करना;*
- *निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्यों का आवंटन सुनिश्चित हो ताकि धन के सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने का अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त किया जा सके;*
- *म और दी पु पैकेज के अन्तर्गत निष्पादित सभी गैर-अनुमन्य कार्यों के नियमितीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारियों के पूर्व-उपरान्त अनुमोदन प्राप्त किया जाना;*
- *ठेकेदारों को अनुचित लाभ समाप्त करने और खजाने पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए ठेका प्रबंधन का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करना; तथा*
- *पुनर्निर्माण गतिविधियों में गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन और अनुश्रवण तंत्र को सुदृढ़ करना।*

(एस. आलोक)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

देहरादून
दिनांक: 30 नवम्बर 2018

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 07 दिसम्बर 2018